



Ref. No. KU/R/1693/21

Date 07-12-21

अधिसूचना

संबंधता समिति की दिनांक 02.12.2021 को सम्पन्न 47वीं बैठक में की गई अनुशंसा एवं तदनुरूप अभिषद की दिनांक 07.12.2021 को सम्पन्न 61वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक- 10/नर्सिंग-10-08/12-184(10)/स्वा0 दिनांक 14.09.2012 एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या No.V.12017/64/2005-DE दिनांक 31.01.2014 को देखते हुए अवध डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जमशेदपुर को निम्न सत्र, पाठ्यक्रम एवं सीटों के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4(19) के तहत महाविद्यालय को अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	सीट	अकादमिक वर्ष	अभियुक्ति
1.	BDS	100	2022-26	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

कुलपति के आदेश से

ह०/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

ज्ञापांक KU/R/1693/21

दिनांक 07/12/21

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, अवध डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जमशेदपुर।
2. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (दंत चिकित्सा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. कुलपति /प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक/ उप-कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
6. संचिका में।

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।